न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम :राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 132/2018
निर्णय दिनांक : 23/7/21

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. अजयपाल सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख निवासी प्लाट नं0 68 बी, तिलक नगर जयपुर।
2. अजीत सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख निवासी प्लाट नं0 68 बी तिलक नगर जयपुर।
3. अजीत सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख निवासी प्लाट नं0 24 सूरज नगर (पश्चिम), सिविल लाइन्स जयपुर।

...अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थन पत्र बाबत् धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पटवार हल्का खो–नागौरियान, तहसील, सांगानेर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त हल्के के खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नं0 1307 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1308 रकबा 16.90 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 17.03 हेक्टेयर के बाबत एक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत दिनांक 27.12.2018 को न्यायालय हाजा के सम[illegible]त कर कथन किया कि मौके पर उक्त नम्बरान् की भूमि पर [illegible] संचालित है जिसका संचालन खातेदार द्वारा किया जा रहा है राजस्थान काश्तकारी कानून के [illegible] उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कृषि प्रयोजन हेतु उपलब्ध है लेकिन अप्रार्थीगण बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरों का व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोग कर अकृषि कार्य कर रहे हैं इस कारण उक्त खसरों पर धारा 177 काश्तकारी कानून के तहत कार्यवाही की जाकर उक्त खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त रकबे को सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थीगण के बेदखली के आदेश पारित किये जावे। जिसके साथ पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी, नक्शा व दो मौके के फोटोग्राफ प्रार्थी रेफरेन्सकर्ता के प्रस्तुत किये।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता हाजिर आये। सर्वप्रथम अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 12.03.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण गलत बनाया गया है। मौके पर कोई भी अकृषि कार्य नही किया जा रहा है। पटवारी हल्का की गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस कारण मौके की सही व वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जावे। जिस पर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित पाया गया तथा तहसीलदार सांगानेर को तहरीर क्रमांक 1252 दिनांक 20/03/2020 जारी की गई जिस पर पुनः एक रिमाण्डर पत्र रिपोर्ट हेतु क्रमांक 1892 दिनांक 05/08/2020 को जारी किया गया जिस पर स्वयं प्रार्थी रेफरेन्स कर्ता तहसीलदार सांगानेर का जवाब दिनांक 06/01/2021 का न्यायालय में प्राप्त हुआ जिस रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वर्तमान में कोई भी ईट भट्टा संचालित नहीं होना कथित किया साथ ही [illegible] कि मौके पर ईट भट्टे सम्बन्धी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं है मौके पर एक जीर्ण–क्षीण अवस्था में एक चिमनी बनी है जो खाली है तथा मौके पर भूमि खाली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त रिपोर्ट के पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से अपना जवाब व विधिक आपत्ति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ने कथित किया कि इस प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर प्रार्थना–पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत करने की दिनांक या उससे कई वर्षों पूर्व से मौके पर कोई भी ईट भट्टा संचालित नहीं हो रहा है करीब सन् 1992–1993 के आसपास करीब एक बीघा भूमि पर कुछ समय के लिए ईट भट्टा बनाया गया था जो कुछ समय पश्चात् ही बन्द कर दिया गया था लेकिन पूर्व में बनाये गये ईट भट्टे की चिमनी नहीं हटाने की वजह से पटवारी हल्का ने सहवन से ईट भट्टा संचालित होने की रिपोर्ट कर दी जिसके आधार पर यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हो गया जिस बावत अप्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वास्तविक रिपोर्ट की माँग की जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार जी का जवाब भी आ चुका है जिसमें भी यह तथ्य स्वीकृत रूप से सिद्ध हुआ है कि मौके पर कोई भी ईट भट्टा संचालित नहीं है इस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त होने योग्य है इसके साथ ही अप्रार्थीगण ने अपनी आपत्ति में यह भी कथित किया कि राजस्थान भू–राजस्व (ईट भट्टों के लिए आवंटन व संपरिवर्तन) नियम 1987 की तत्कालीन धार 5 (क) के अनुसार एक खातेदार अपनी भूमि में से 2 एकड़ भूमि तक की सीमा में ईट भट्टा लगा सकता था जिसके लिए उसे किसी प्रकार के संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है तथा उक्त दो एकड तक की भूमि अपने आप ही संपरिवर्तन होना मानी जाती है। अप्रार्थीगण ने भी उक्त नियम के तहत सन् 1992–1993 के आसपास केवल एक बीघा भूमि पर ईट भट्टा लगाया था जो बाद में उसी समय बन्द कर दिया था इस कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ उस समय के लागू नियमों के तहत प्रस्तुत धारा 1[illegible] रेफरेन्स कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

हमने अप्रार्थीगण की विधिक आपत्ति पर उनकी बहस सुनी तथा राजस्थान भू–राजस्व (ईट भट्टों के लिए आवंटन व संपरिवर्तन) नियम 1987 पूर्व की धारा 5 (क) जो कि उक्त नियमों में सन् 1991 में जोडी गई है। तथा उक्त धारा 2003 में पुनः हटा दी गई है, का अवलोकन किया। जिस धारा के अनुसार एक खातेदार अपनी भूमि में से दो एकड भूमि तक में ईट–भट्टा बिना संपरिवर्तन कराये चालू कर सकता है। जिसके लिये पृथक से संपरिवर्तन की कोई आवश्यकता नही होती है। चूंकि इस प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार ने कुल 17.3 हेक्टेयर भूमि बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अप्राथीगण के अनुसार पूर्व में केवल करीब एक बीघा भूमि पर ईट भट्टा संचालित करना कथित किया है ऐसे में दोनों पक्षों के अभिवचनों के विरोधाभास को देखते हुए तहसीलदार, साँगानेर से एक स्पष्टीकरण पुनः कितनी भूमि ईट भट्टे में उपयोग में लाई गयी थी के बाबत मँगवाया जाना उचित पाया इस पर तहसीलदार से उक्त आशय की रिपोर्ट माँगी गई जो रिपोर्ट पत्रांक 1869 दिनांक 15.04.2021 द्वारा मांगी गई। जिस पर तहसीलदार, साँगानेर अर्थात् प्रार्थी की ओर से रिपोर्ट क्रमांक 4063 दिनांक 09.07.2021 की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस रिपोर्ट स्पष्टीकरण के अनुसार तहसीदार सांगानेर ने विवादित 17.3 हैक्टेयर भूमि में से पूर्व में लगभग डेढ बीघा भूमि पर ईट भट्टा संचालित होना बताया गया तथा वर्तमान में भट्टा चालू नहीं होना कथित किया। इस पर वकील अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.07.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब करने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से मौके के सम्बन्ध में मौके के पड़ौस में निवास करने वाले गवाहों राधेश्याम पुत्र कल्लूराम, जगराम पुत्र भूराराम, रमेश कुमार पुत्र रामपाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये [illegible] मौके के सम्बन्ध अपने पहचान पत्र प्रस्तुत किये जिनमे उक्त गवाहों ने सशपथ बयान कर बताया है कि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त ईट भट्टा सन् 1992–93 के आस–पास करीब एक वर्ष के लिये ही चला था तथा उसी समय बन्द हो गया था।

तहसीलदार, साँगानेर की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षों की बहस पुनः सुनी गई जिन्होंने अपनी अपनी बहस व तथ्यों से न्यायालय को अवगत करवाया हमने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस व कानून पर मनन किया तो यह स्वीकृत स्थिति पाई कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त प्रकरण कुल 17.3 हैक्टेयर भूमि बाबत् प्रस्तुत किया था किन्तु उनकी स्वयं की रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 व 09.07.2021 के अनुसार मौके पर केवल डेढ बिघा भूमि में ईट–भट्टा चालू होना बताया है। साथ ही वर्तमान में ईट–भट्टा नही होना कथित किया है। तो यह तथ्य सिद्ध हुआ कि वर्तमान में मौके पर कोई भी ईट भट्टा संचालित नहीं है यह निर्विवाद तथ्य है मौके पर भूमि खाली पडी है यह तथ्य भी पूर्णतया सिद्ध है तहसीलदार की रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्वीकृत रूप से सामने आया है कि पूर्व में जो ईट भट्टा संचालित था वह भी केवल डेढ बीघा भूमि पर ही संचालित था जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में 17.3 हेक्टेयर भूमि को आक्षेपित किया है इसके अलावा राजस्थान भू–राजस्व (ईट भट्टों के लिए भूमि आवंटन व संपरिवर्तन) नियम 1987 की तत्कालीन धारा 5 (क) का भी अवलोकन किया गया हालाकि उक्त धारा 2003 मे हटा दी गई थी। किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार सन् 1991–92 मे उक्त धारा प्रचलित थी जिसके अनुसार एक खातेदार को अपनी भूमि मे बिना संपरिवर्तन करवाये दो एकड भूमि तक में ईट भट्टा लगाने की छूट थी तथा अप्रार्थीगण सशपथ गवाहों के द्वारा यह तथ्य सिद्ध किया है कि सन् 1992–93 की एक वर्ष की अवधि मे ही उक्त भट्टा चला था ऐसे में उस समय की प्रचलित धारा 5(क) के अनुसार सपरिवर्तन करवाना आवश्यक नही [illegible] तहसीलदार के प्रकरण के तथ्यों व उनकी ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे आपसी गंभीर विरोधाभास होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर दक्षिण (सांगानेर)

कारण एवं पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन करने व जवाब अप्रार्थीगण व सम्बन्धित कानून, रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार के गम्भीरतापूर्वक अवलोकन से अप्रार्थीगण के जवाब व विधिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है ऐसे में समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून खारिज होने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून अस्वीकार कर खारिज किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/21 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय साँगानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:42:19 IST
Reason: SelfAttested